न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 239/2019

वादी :– रामनिवास पुत्र श्री अम्बूराम, जाति जाट, निवासी छापरी खुर्द, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. श्रवणराम पुत्र श्री अम्बूराम
2. संतु पत्नी श्री रामनिवास
3. देवाराम पुत्र श्री अमूराम
4. सुप्यारी पत्नी श्री मूलाराम
5. छोटाराम पुत्र श्री अम्बूराम
6. मूलाराम पुत्र श्री अम्बूराम
7. कमली पुत्री श्री अम्बूराम
8. जबुड़ी पुत्री श्री अम्बूराम
9. सम्पतिदेवी पत्नी श्री श्रवणराम
   जातियान जाट, निवासीगण छापरी खुर्द
   तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
10. तहसीलदार, मेड़ता।
11. पटवारी, पटवार हल्का छापरी खुर्द।

दावा बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा

अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955

निर्णय दिनांक :– 25/10/19

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी श्री गिरधारीलाल ने दावा बाबत खातेदारी घोषणा व बंटवाड़ा का पेश कर

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 श्री अमूराम उर्फ अम्बूराम के वारिसान है तथा सभी हिन्दू है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से गवर्न होते है। मौजा छापरी खुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 439 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 440/1269 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 255 रकबा 2.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 437 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 438/1271 रकबा 2.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 269 रकबा 2.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 276 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 2.6600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 277 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 435 रकबा 2.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 436 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 1.3400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 249 रकबा 0.0100 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है। जो स्व. अम्बूराम उर्फ अमूराम जी के स्वर्गवास के बाद वादी व प्रतिवादीगण को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। वादी व प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी का आज से करीब 2 वर्ष पूर्व मौके पर तो बंटवाड़ा कर लिया है और बंटवाड़ा के अनुसार ही मौके पर सींवे व माठे कायम कर ली है। बंटवाड़ा में प्रतिवादी संख्या 6, 7, 8 एवं 9 ने उक्त खसरान की भूमि में अपना कोई हक, बंट नही रखा है। इन्होने इस जमीन के बंट की एवज में नगदी व गहने प्राप्त कर लिये है तथा अपना सम्पूर्ण खातेदारी व हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पक्ष में जुबानी तर्क कर दिया है। जिससे प्रतिवादी संख्या 6 से 9 का उक्त खसरान की भूमि में कोई हक, बंट, काश्त, कब्जा, अधिकार नही है। मगर राजस्व रेकर्ड में अभी तक खातेदारी संयुक्त रूप से चली आ रही है। जिससे

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

वादी अपनी बंटसुदा भूमि की खातेदारी अपने नाम अलग करवाकर राजस्व रेकर्ड में भी बंटवाड़ा करवाकर अलग से खातेदारी अपने नाम करवाने हेतु यह खातेदारी घोषणा का वाद पेश कर रहा है। वादी व प्रतिवादीगण ने अपनी पैतृक जमीन का मौके पर तो बंटवाड़ा कर लिया और बंटवाड़ा के अनुसार ही सीवें व माठे कायम कर ली मगर अभी तक विधिवत् बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस वादी व प्रतिवादीगण के बीच नही हुआ हैं। जिससे वादी अपनी बंटसुदा भूमि का विधिवत् बंटवाड़ा करवाकर अलग से खातेदारी दर्ज करवाना चाहता है। मौके पर बंटवाड़ा अर्जीदावा के पैरा संख्या 3 में वर्णितानुसार है। पक्षकारान के बीच विभाजन हो जाने से ऊपर बताये अनुसार पक्षकारान मौके पर काश्त व काबिज है तथा शांतिपूर्वक काश्त व काबिज चले आ रहे है। मगर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती दर्ज चली आ रही है मगर बंटवाड़ा अनुसार खातेदारी में नाम दर्ज नही है। इस वजह से वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को कई बार कानूनी बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर टालमटोल कर है तथा बंटवाड़े में देरी हो रही है तथा राज्य सरकार की योजनान्तर्गत वादी को समुचित लाभ प्राप्त नही हो रहा है। इस वजह से वादी कानूनी बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाने हेतु यह वाद पेश कर रहा है। वादग्रस्त खसरान की भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है तथा संयुक्त हिन्दू परिवार की जायदाद है। जो अविभाजित है। वादी का उक्त खसरान की भूमि में जन्म से ही हक, अधिकार एवं बंट प्राप्त है। वादी मौके पर शांतिपूर्वक काश्त व काबिज है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 8 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा छापरी खुर्द की जमा बंदी सम्वत् 2076 से 2076, खाता संख्या 374, 281, 125, 126, 377, 283, 13 एवं नक्शा ट्रेस की प्रतियां पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की ओर से वकील श्री नरेश कुमार राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 10 व 11 बाजवूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से दिनांक 22.10.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

—: आदेश :—

6. **(क) वादी के बंट में :—** मौजा छापरी खुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 255 रकबा 2.69 हैक्टेयर में से रकबा 1.78 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.0300 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.0600 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 श्रवणराम के बंट में :— मौजा छापरी खुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 438/1271 रकबा 2.1900

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर में से रकबा 1.32 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा, खसरा नम्बर 437 रकबा 0.3400 हैक्टेयर में से रकबा 0.3300 हैक्टेयर दक्षिणी, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.0100 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि बंटसुदा खातेदारी की काश्त व कब्जासुद भूमि है।

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 संतुदेवी के बंट में :– मौजा छापरी खुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 439 रकबा 0.7800 हैक्टेयर में से रकबा 0.75 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 438/1271 रकबा 2.1900 हैक्टेयर में से रकबा 0.8200 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा भूमि बंटसुदा खातेदारी की काश्त व कब्जासुद भूमि है।

(घ) प्रतिवादी संख्या 3 देवाराम के बंट में :– मौजा छापरी खुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 255 रकबा 2.6900 हैक्टेयर में से रकबा 0.91 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.0200 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नमबर 436 रकबा 0.2400 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि बंटसुदा खातेदारी की काश्त व कब्जासुद भूमि है।

(ड़) प्रतिवादी संख्या 4 सुप्यारी के बंट में :– मौजा छापरी खुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 435 रकबा 2.0500 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 434 रकबा 0.0300 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि बंटसुदा खातेदारी की काश्त व कब्जासुद भूमि है।

(च) प्रतिवादी संख्या 5 छोटाराम के बंट में :– मौजा छापरी खुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 269 रकबा 2.0600 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 276 रकबा 0.0500 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 24 रकबा 1.3400 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 277 रकबा 0.0400 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि बंटसुदा खातेदारी की काश्त व कब्जासुद भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

(छ) श्रवणराम, देवाराम पिसरान अम्बूराम एवं सन्तु पत्नी श्री रामनिवास के शामलाती बंट में रास्ता हेतु रखी गई आराजी का विवरण :–

नाम ग्राम	खाता संख्या	खसरा न.	रकबा(हैक्टेयर) व दिशा
छापरी खुर्द	374	439	0.03 पश्चिमी रास्ता हेतु
छापरी खुर्द	125	438/1271	0.05 उत्तरी रास्ता हेतु
छापरी खुर्द	374	440/1269	0.03 सम्पूर्ण रास्ता हेतु
छापरी खुर्द	125	437	0.01 उत्तरी रास्ता हेतु

7. प्रतिवादी संख्या 6 से 9 ने अपने हक की भूमि का हक तर्क वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पक्ष में कर दिया है। जिससे हक तर्क व बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/10/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

के.आर. चौहान
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.11.11 11:58:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: